

राजस्थान सरकार
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी
(चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं)
आर.टी.डी.सी. मुख्यालय (स्वागतम होटल परिसर) रेल्वे स्टेशन, जयपुर

क्रमांक एफ.(146)/आर.एस.एच.ए.ए./Disease Package/2022/2248


दिनांक: 8/08/2022

आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र क्रमांक 3308 दिनांक 16.12.2021 के क्रम में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवार द्वारा योजना से सम्बद्ध अस्पतालों में स्वयं के खर्च पर कॉटेज/प्राइवेट/सेमी प्राइवेट रूम में उपचार लेने के सम्बन्ध में निम्नानुसार अनुमति प्रदान की जाती है—

1. मरीज द्वारा स्वेच्छा से इस विकल्प का चयन किया जायेगा, अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीज/मरीज के परिजनों पर उक्त विकल्प के चयन के लिये कोई दबाव नहीं बनाया जायेगा। उक्त संदर्भ में मरीज/मरीज के परिजनों की लिखित अनुमति संलग्न करनी होगी।
2. जिन एनएबीएच प्रमाणित (Fully/Pre entry level) निजी अस्पतालों की दैनिक रूम रेट इस कार्यालय को उपलब्ध होगी केवल उनको उक्त प्रावधान का लाभ योजना के लाभार्थी परिवारों को दिये जाने के लिए अनुमत किया जा सकेगा।
3. राजकीय अस्पतालों में स्वेच्छा से स्वयं के खर्च पर कॉटेज वार्ड में भर्ती होकर योजनान्तर्गत उपचार लेने के इच्छुक मरीजों को उपचार प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस संदर्भ में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, द्वारा जारी आदेश 103 दिनांक 31.03.2022 के क्रम में अस्पताल की आर.एम.आर.एस. द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान मरीज को स्वयं करना होगा।
4. यह प्रावधान केवल रूम चार्ज पर ही लागू होगा। अस्पताल द्वारा मरीज का उपचार योजना के नियमों एवं शर्तों के अनुसार निःशुल्क किया जायेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(डॉ.अमित यादव)
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी

क्रमांक एफ.(146)/आर.एस.एच.ए.ए./Disease Package/2022/2248

दिनांक: 8/08/2022

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकि.एवं स्वा. विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरएसएचएए, राजस्थान सरकार।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
6. सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरएसएचएए, राजस्थान सरकार।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले।
8. समस्त सरकारी एवं निजी सम्बद्ध अस्पताल, समस्त जिले।
9. सलाहकार, आई.टी, आरएसएचएए-विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने बाबत।


कार्यकारी निदेशक,
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेंसी

निजी अस्पताल में प्राइवेट रूम में उपचार लेने के लिए स्वीकृति पत्र

मैं(मरीज का नाम/परिजन का नाम)
(जनआधार संख्या) यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्र परिवार का सदस्य हूँ। मैं योजनान्तर्गत सम्बद्ध निजी अस्पताल में स्वयं के खर्च पर बेसिक/डीलक्स/सुपर डीलक्स/अन्य श्रेणी.....के प्राइवेट रूम में उपचार लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

अस्पताल प्रशासन द्वारा मेरे द्वारा चयनित उक्त श्रेणी के प्राइवेट रूम में उपचार लेने के लिए मुझ पर कोई दवाब नहीं बनाया गया है। अस्पताल में उपचार के दौरान चयनित श्रेणी के उक्त रूम का खर्च मैं स्वयं वहन करूंगा/करूंगी इसकी जानकारी मुझे उपलब्ध करवा दी गई है।

मरीज का नाम.....

मरीज/मरीज के परिजन का नाम.....

मरीज/मरीज के परिजन के हस्ताक्षर.....

मोबाइल नम्बर.....

चयनित प्राइवेट रूम की श्रेणी: बेसिक/डीलक्स/सुपर डीलक्स/अन्य श्रेणी.....

चयनित प्राइवेट रूम की रेट:

दिनांक.....

स्थान.....

सरकारी अस्पताल में कॉटेज वार्ड में उपचार लेने के लिए स्वीकृति पत्र

मैं(मरीज का नाम/परिजन का नाम)
(जनआधार संख्या) यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पात्र परिवार का सदस्य हूँ। मैं योजनान्तर्गत सम्बद्ध सरकारी अस्पताल में स्वयं के खर्च पर कॉटेज वार्ड में उपचार लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ।
अस्पताल प्रशासन द्वारा मेरे द्वारा चयनित उक्त श्रेणी के कॉटेज वार्ड में उपचार लेने के लिए मुझ पर कोई दवाब नहीं बनाया गया है। अस्पताल में उपचार के दौरान चयनित श्रेणी के उक्त रूम का खर्च मैं स्वयं वहन करूंगा/करूंगी इसकी जानकारी मुझे उपलब्ध करवा दी गई है।

मरीज का नाम.....

मरीज/मरीज के परिजन का नाम.....

मरीज/मरीज के परिजन के हस्ताक्षर.....

मोबाइल नम्बर.....

चयनित कॉटेज वार्ड की रेट:

दिनांक.....

स्थान.....